न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—234 / 2016 / 225 (2016 / 00234)

1. रामचन्द्र पुत्र गोपीराम, जाति मेघवाल, निवासी सागर की ढाणी, नवां तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर ।
2. श्योराम पुत्र बालूराम, जाति जाट, निवासी फगोड़िया की ढाणी, रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. बीरमा पुत्र मंगला, जाति जाट, निवासी ग्राम दरडून्ड, ग्राम पंचायत पनेर, पोस्ट नवां, तह0 रूपनगढ, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंट / प्रार्थी

2. आसू पुत्र गोगा, जाति मेघवाल, नि0 आजाद नगर, मदनगंज—किशनगढ, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
3. सत्यनारायण पुत्र बुद्धाराम, जाति मेघवाल, नि0 आजाद नगर, मदनगंज—किशनगढ़, जिला अजमेर ।
4. अर्जुनलाल पुत्र जगतमल, जाति सिन्धी, निवासी चन्द्र कॉलोनी, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस / अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 से 6

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 8.6.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 7 / 2015.

उपस्थितः—

1. श्री अमरसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री जी0एस0 चारण, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री हरदत्त सारण, वकील रेस्पो0 संख्या 3.
4. श्री सुमित जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 4.
5. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।
6. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः—21.6.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 8.6. 2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 / प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 का अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दरडून्ड, तहसील सरवाड़ स्थित भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता संख्या नया 105 पुराना 83 का खसरा संख्या 243 / 3 रकबा 7—1—0 बीघा भूमि स्थित है । प्रार्थी की उक्त आराजी में आने जाने का काई रास्ता एवं वैकल्पिक मार्ग मौजूद

नहीं है । प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि के पड़ौस में खसरा नंबर 237 एवं 237/1 स्थित है जसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 3 है तथा प्रार्थी की उक्त भूमि के पड़ौस में अन्य खसरा नंबर 238 का खातेदार अप्रार्थी संख्या 4 है । इसके अलावा प्रार्थी की भूमि के पड़ौस में ही स्थित अन्य खसरा संख्या 238/1 व 238/4 के खातेदारी अप्रार्थी संख्या 4 व 5 है । प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के पड़ौस में अप्रार्थीगण की उक्त वर्णित खसरा नंबरों की भूमियां स्थित है जिनमें से ही प्रार्थी की भूमि में एकमात्र रूप से आने जाने का अन्य कोई भी रास्ता एवं वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है । इसलिये प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि खसरा नंबर 243/3 में आने जाने हेतु उक्त वर्णित खसरा नंबरों की भूमि में से 15 फुट चौड़ा एवं लगभग 1200 फुट लंबा रास्ता दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने दिनांक 8.6.2016 को प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. अपील के विचाराधीन रहते प्रार्थिया अमरी पुत्री गोकुल व कमला पुत्र गोकुल, जाति गुर्जर निवासी जालियों की ढाणी, रामनगर, तह0 रूपनगढ़, जिला अजमेर की और से अधिवक्ता श्री हरदत्त सारण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 जा0दी0 दिनांक 3.4.2019 को पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दरडून्ड के खसरा नंबर 243/3 वर्तमान खसरा नंबर 243/2/2 के खातेदार बीरमा पुत्र मंगला द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 251–ए अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिये कोई मौजूदा नहीं है इसलिये पड़ौस के खसरा संख्या 237 एवं 237/1 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की भूमिया है एवं एक अन्य खसरा नंबर 238 जो कि अप्रार्थी संख्या 4 की है एवं अन्य खसरा नंबर 238/1 व 238/4 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 4 व 5 है इस प्रकार प्रार्थी के खेत के पड़ौस में उक्त खसरा नंबर स्थित है इसलिये प्रार्थी के खेत मेंआने जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जावे । अधी0न्याया0 ने खसरा नंबर 238 की पूर्वी व उत्तरी सीमा के सहारे 3 गठ्ठा चौडा व खसरा नंबर 237/1 में रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान करे दिये । अधी0न्याया0 के इस आदेश के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें हाजा न्यायालय ने उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के आदेश दिनांक 8.6.2016 की पालना आगामी पेशी दिनांक 16.8.2016 तक स्थगित कर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिये है किन्तु अपीलांटस ने हाजा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की भूमि को अंकित कर गलत रूप से स्थगन प्राप्त किया है जिससे प्रार्थी के हित भी प्रभावित होकर प्रार्थी अपील में हितबद्ध पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को पक्षकार नियुक्त किया जावे ।

5. इसी प्रकार एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 दिनांक 22.11.2017 को अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने प्रार्थिया कमला व अमरी पुत्री गोकल गुर्जर को पक्षकार बनाये जाने हेतु पेश कर प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया ।

6. विद्वान वकील अपीलांटस ने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी की भूमि में अधी0न्याया0 द्वारा रास्ता नहीं दिया गया है इसलिये प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार नहीं है । प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 निरस्त किया जावे।

7. हमनें प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 दिनांक 3.4.2019 का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थी की आराजियात में से रास्ते संबंधी आदेश पारित नहीं किये गये है । इसलिये प्रार्थी अधी0न्याया0 के आदेश से व्यथित पक्षकार नहीं है एवं न ही हितबद्ध पक्षकार है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 निरस्त किया जाता है ।

8. जब समान प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पश्चात्वर्ती प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 खारिज हो चुका है तो पूर्व प्रार्थना पत्र दिनांक 22.11.2017 जिसमें समान प्रार्थीगण है भी स्वतः ही सारहीन हो जाता है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 दिनांक 22.11.2017 को निरस्त किया जाता है ।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस एवं प्रारंभिक आपत्ति में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 1.4.2016 नियत थी तथा दिनांक 1.4.2016 को अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 4 किशनगढ़ न्यायालय में अन्य प्रकरण में व्यस्त होने से अधी0न्याया0 के समक्ष विलंब से उपस्थित हुआ तो जानकारी हुई कि अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही हो गयी है । उक्त एकतरफा कार्यवाही के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया जिसे पीठासीन अधिकारी जी ने शामिल मिसल करने के आदेश पारित किये जो अविधिक होकर निरस्तनीय है। अधी0न्याया0 द्वारा उक्त प्रकरण में आदेशिका दिनांक 1.4.2016 आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.4.2016 नियत थी तथा उक्त दिनांक को जिन–जिन प्रकरणों में तारीख नियत थी उन सभी प्रकरणों में कोमन आगामी तारीख पेशी 8.7.2016 नियत की गई थी किन्तु हस्तगत प्रकरण में दिनांक 8.6.2016 नियत की गई । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अप्रार्थी संख्या 1 व 4 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु न तो अंतिम अवसर दिया और न ही जवाब बंद करने की आदेशिका है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने दिनांक 8.6.2016 को बहस सुने बिना ही आदेश 9 नियम 7 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र को अनिर्णित रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने दिनांक 29.4.2016 से न्याय आपके द्वार शिविर 2016 लोक अदालत कैम्प पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र में उपस्थिति होने बाबत् अप्रार्थीगण को सूचना बाबत् कोई नोटिस जारी नही किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है । तथाकथित मौका पर्चा पटवारी एवं गिरदावर हल्का आदि के मौके पर गये बिना ही केवल शिविर में बैठकर बेक डेट में तैयार की गई है । अधी0न्याया0 ने अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस/अप्रार्थीगण संख्या 1 व 4 के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कर अप्रार्थीगण को पत्रावली में जवाब प्रस्तुत करने तथा साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जावे ।

10. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है । अधी0न्याया0 में अप्रार्थी संख्या 1 व 4 उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की है जो विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 की आराजी खसरा संख्या 243/3 में आने जाने के लिये कोई रास्ता एवं वैकल्पिक मार्ग मौजूद नहीं है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का से प्रस्तावित रास्ते बाबत् मौका

रिपोर्ट प्राप्त की है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर विधिसम्मत् आदेश पारित किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

11. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस का मुख्य कथन है कि अपीलांटस के विरूद्ध अधी0न्याया0 में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपीलांटस को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 में अपीलांटस के विरूद्ध दिनांक 4.3.2016 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त एकतरफा कार्यवाही को निरस्त कराने हेतु अपीलांटस/अप्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जा0दी0 अधी0न्याया0 के समक्ष पेश किया जिस पर पीठासीन अधिकारी ने रीडर को मार्क कर आगामी तारीख पेशी पर पत्रावली के साथ पेश करने के आदेश पारित किये है किन्तु अधी0न्याया0 ने इस प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार के आदेश पारित नहीं कर प्रकरण को न्याय आपके द्वार शिविर मु0 पनेर में रखकर एकतरफा में प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र निर्णित किया है । अधी0न्याया0 को अपीलांटस/अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जा0 दी0 को निर्णित करने के उपरांत ही प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारों के हित निहित हो वहां पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

12. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.6.2016 निरस्त किया जाकर पत्रावली अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

13. निर्णय आज दिनांक 21.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर